SHODH SAMAGAM

ISSN : 2581-6918 (Online), 2582-1792 (PRINT)

औपनिवेशिक भारत में चार्ल्स वुड्स डिस्पैच की शिक्षा नीतिः एक मूल्यांकन

नंदिता, Ph.D., पर्यवेक्षिका, **जयंती कुमारी,** शोधार्थी, इतिहास विभाग
मगध विश्वविद्यालय, बोध गया, बिहार, भारत

ORIGINAL ARTICLE

Authors
नंदिता, Ph.D.
जयंती कुमारी, शोधार्थी

shodhsamagam1@gmail.com

Received on : 28/12/2023
Revised on : -----
Accepted on : 29/02/2024
Overall Similarity : 02% on 21/02/2024

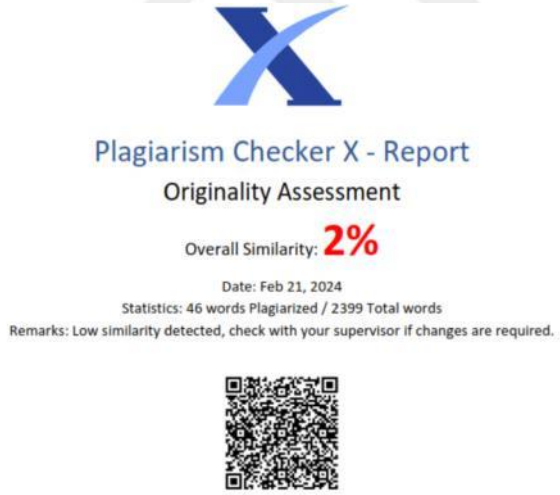

शोध सार

औपनिवेशिक काल में भारत में जो शिक्षा नीति थी, वह मूलतः प्राच्य शिक्षा पर आधारित थी। इस शिक्षा में बदलाव लाने के लिए 1854 में चार्ल्स वुड्स डिस्पैच ने तत्कालिन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को पत्र लिखा जिसमें यह प्रस्ताव रखा गया कि प्राथमिक विद्यालयों में स्थानीय स्तर पर प्रचलित भाषाओं के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। साथ ही भारत में उच्च शिक्षा का माध्यम ऐंग्लो वर्नाकुलर के साथ अंग्रेजी भाषा को समान रूप से बढ़ावा देना था। भारत के प्रत्येक प्रांत और जिले में एक सरकारी स्कूल की व्यवस्था हो ताकि स्थानीय स्तर पर रहने वाले भारतीय छात्रों को अंग्रेजी भाषा की भी शिक्षा दी जा सके। इस तरह की शिक्षा को निःशुल्क स्तर पर देने का प्रावधान रखा गया। शुरूआती दौर में लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर इस तरह की शिक्षा को बम्बई, मद्रास और कोलकाता में स्थापित किया गया। भारत में अंग्रेजी शिक्षा को मैग्नाकार्टा का नाम दिया गया और मैकाले के समय में स्थापित ''अधोगामी निस्पंदन के सिद्धांत'' को खारिज कर दिया। [1]

मुख्य शब्द

चार्ल्स वुड्स डिस्पैच, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, मैग्नाकार्ट, ऐंग्लो–वर्नाक्यूलर, व्यावसायिक शिक्षा.

प्रस्तावना

1854 के पहले उच्च शिक्षा के विकास की गति धीमी थी। शुरू में एकमात्र अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बंगाल प्रांत में विद्यालय खोला गया। इसके पूर्व 1835 में 'लोक शिक्षा समिति' द्वारा 20 विद्यालयों को खोला गया। पुनः 1837 में इसकी संख्या बढ़ाकर 48 कर दिया गया। इन विद्यालयों को सही तरीके से चलाने के लिए बंगाल के इन क्षेत्रों को 9 भागों में बाँटा गया ताकि नियंत्रण करने में सुविधा हो सके। छात्रों की बढ़ती

संख्या को देखते हुए 1840 में विद्यालयों की संख्या को बढ़ाकर 40 कर दिया गया। साथ ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को स्थापित करने के लिए 1847 में लॉर्ड हार्डिंग ने अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए कलकत्ता में एक नॉर्मल स्कूल को स्थापित किया गया। जब लॉर्ड डलहौजी भारत में गवर्नर जनरल बनकर आया तब 1854 में उसने 33 प्राथमिक विद्यालय खुलवाये 1844 में पहले से ही 'कलकत्ता हिन्दु कॉलेज' में इंजीनियरिंग कॉलेज खोले गये थे। बंगाल की शिक्षा परिषद् द्वारा 1854 में 47 अंग्रेजी स्कूल, 5 अंग्रेजी कॉलेज, 1 मेडिकल कॉलेज तथा 3 प्राच्य कॉलेज खोले गये। ऐसे कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1935 में ही हो चुकी थी। पुनः 1956 में यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गयी।[2]

औपनिवेशिक काल में शिक्षा की चरमराती स्थिति में परिवर्तन लाने के लिए बम्बई के 'भारतीय शिक्षा समिति' को 1840 में भंग कर उसके स्थान पर एक शिक्षा बोर्ड को स्थापित किया गया। इस दौरान देश के विभिन्न भागों सूरत, रत्नागिरि, अहमदाबाद, धारवाड़, कोल्हापुर, सतारा, राजकोट आदि में अंग्रेजी स्कूलों की स्थापना हुई। 1847 में थॉमसन ने रूड़की में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की। 1851 में 'पूना संस्कृत कॉलेज' और 'पूना अंग्रेजी स्कूल' को मिलाकर 'पूना कॉलेज' बनाया गया। इस क्रम में 1854 में बम्बई के विभिन्न इलाकों में शिक्षा में उत्तरोत्तर विकास के लिए 216 विद्यालयों को खोला गया।[3]

बम्बई के बाद भारत के मेट्रोपोलियन सिटी मद्रास में चार्ल्स वुड्स डिस्पैच द्वारा कई मिशनरी स्कूलों को खोलने का प्रस्ताव लाया गया। 1830 में मुनरो की जन शिक्षा योजना पर जब रोक लगाया दिया गया तब तहसील विद्यालयों को बंद कर अंग्रेजी स्कूल खोले गए। 1841 में मद्रास नगर में हाई स्कूल की स्थापना की गई और 1852 तक शहर के अंदर कई महत्वपूर्ण कॉलेज भी स्थापित हुये।[4]

पंजाब के अमृतसर और लाहौर के इलाके में अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1849 में विद्यालयों को खोला गया ताकि भारत में अंग्रेजी भाषा जानने वाले लोगों की संख्या बढ़ सके। 1852 में सेंट जॉन्स की स्थापना शिक्षा के विकसित कड़ी का ही हिस्सा साबित हुआ। 1850 में बरेली में उच्च विद्यालय और 1853 में बनारस में कॉलेज स्थापित किया गया। यहाँ तक कि 1842 में कलकत्ता के हिन्दू कॉलेज में कानून की शिक्षा की शुरूआत की गयी। भारत की आधी आबादी यानि नारियों की शिक्षा पर बल दिया गया। साथ ही महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को समाप्त करने के लिए स्त्री शिक्षा पर जोर दिया गया। इसी कड़ी को मजबूती प्रदान करने के लिए राजाराम मोहन राय और लॉर्ड बेंटिक ने सती–प्रथा को समाप्त करने के साथ ही स्त्री–शिक्षा पर जोर दिया ताकि महिलाएँ सही–गलत का चुनाव कर स्त्रियों पर हो रहे अत्याचार और अमानुषिक कुकृत्य का उन्मूलन किया जा सके। चार्ल्स वुड्स डिस्पैच ने अपने घोषणा पत्र में स्त्री शिक्षा के प्रति अपना समर्थन जताया है। 1854 के पूर्व स्त्री–शिक्षा का विस्तार नही के बराबर हुआ, क्योंकि पढ़ी–लिखी महिलाओं की आबादी कम थी। चार्ल्स वुड्स स्त्री–शिक्षा को स्थापित कर समाज के अंदर रूढ़िवादी व्यवस्था पर अंकुश लगाना चाहते थे। आज इसका व्यापक असर भारत में दिख रहा है। चार्ल्स वुड्स ने अपने घोषण पत्र में व्यापक रूप से शिक्षा विस्तार को स्थापित किया है।[5]

वुड्स डिस्पैच का घोषणा पत्र

1853 तक शिक्षा नीति में जो उतार–चढ़ाव आया था उसका सर्वेक्षण कर वुड्स ने 1854 में बदलाव लाने का प्रस्ताव लाया ताकि शिक्षा नीति से सुधार लाया जा सके। अभी तक औपनिवेशिक सरकार की जो नीतियाँ थी वह जनकल्याण से कोसो दूर थी। इसमें भारतीय लोगों के पक्ष की बात कम और कम्पनी की सोच हावी रहा। ऐसे में 19 जुलाई 1854 को कम्पनी के संचालकों ने अपनी शिक्षा–नीति की घोषणा की। इसमें पहली बार 'बोर्ड ऑफ कंट्रोल' का प्रधान चार्ल्स वुड्स डिस्पैच को बनाया गया। इसलिए इस आदेश–पत्र का नाम 'वुड का घोषणा–पत्र' पड़ा। यह सौ अनुच्छेदों का एक लम्बा दस्तावेज था जिसमें शिक्षा के उद्देश्य, माध्यम, सुधारों की योजनाओं को स्थापित किया गया है।[6]

शिक्षा के उद्देश्य के संबंध में इस घोषणा–पत्र में कहा गया, 'हमारे अत्यंत पवित्र कर्तव्यों में एक यह है कि जहाँ तक हमारे लिए साध्य हो, हम भारत के मूल निवासियों को उन विशाल नैतिक एवं मौलिक वरदानों को देने

के लिए साधन बनें जो लाभप्रद ज्ञान के सामान्य प्रसार से प्राप्त होते हैं.....।' घोषणा–पत्र के अनुसार इससे ऐसे व्यक्ति उत्पन्न होंगे जिन्हें विश्वास के साथ सरकारी पदों पर रखा जा सकेगा। यह भी आशा व्यक्त की गई कि पाश्चात्य ज्ञान के प्रसार के फलस्वरूप भारत में ब्रिटिश श्रमिकों के माल की अपार माँग होने लगेगी।[7]

पाठ्यक्रम के संबंध में लॉर्ड मैकॉले के विचारों का समर्थन करते हुए घोषणा–पत्र में कहा गया, 'प्राच्य देशों की उच्च शिक्षा अर्थात् उनकी विज्ञान एवं दर्शनशास्त्र की पद्धति में भारी त्रुटियाँ हैं और आधुनिक खोजों एवं सुधार का प्राच्य साहित्य में भारी अभाव है। हम भारत में ऐसी शिक्षा का विस्तार करना चाहते हैं जिसका लक्ष्य यूरोप की कला, विज्ञान, दर्शनशास्त्र एवं साहित्य का प्रसार करना है।' साथ ही ऐतिहासिक व कानून की दृष्टि से संस्कृत, अरबी एवं फारसी की उपयोगिता को स्वीकार किया गया परंतु देशी भाषाओं में पुस्तकों का अभाव होने के कारण अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाना आवश्यक बताया गया। अंग्रेजी द्वारा पाश्चात्य साहित्य एवं विज्ञान की शिक्षा दी जाए और अन्य व्यक्तियों को भारतीय भाषाओं में शिक्षा दी जाए।[8]

तीन पुराने विवादों पर विचार करने के बाद घोषणा–पत्र में वे नवीन योजनाएँ बताई गईं जिन्हें प्रारंभ करना था। प्रथम योजना में पाँच प्रांतों अर्थात् बंगाल, मद्रास, बंबई, उत्तर–पश्चिम सीमा–प्रांत और पंजाब में एक–एक लोक शिक्षा विभाग की स्थापना का प्रस्ताव था जिसका प्रधान लोक शिक्षा निदेशक (Director of Public Instruction) को बनाया जाता था। वह प्रांत की शिक्षा–प्रगति के संबंध में वार्षिक प्रतिवेदन सरकार को भेजता था।

दूसरी योजना विश्वविद्यालयों की स्थापना से संबंधित थी। सर्वप्रथम कलकत्ता एवं बंबई और आगे चलकर मद्रास तथा अन्य स्थानों में विश्वविद्यालयों की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया। ये विश्वविद्यालय लंदन विश्वविद्यालय के नमूने पर स्थापित किए जाने थे जिनका मुख्य कार्य परीक्षाएँ लेना और उपाधियाँ देना था। प्रत्येक विश्वविद्यालय में कुलपति, उपकुलपति तथा फेलो होंगे जो सरकार द्वरा मनोनीत किये जाते थे। इन सबको मिलाकर 'सीनेट' बनाई गई जो विश्वविद्यालय के लिए नियमों का निर्माण और उसका प्रबंध करती थी।

इसके बाद घोषणा–पत्र में श्रेणीबद्ध विद्यालयों के जाल की व्याख्या की गई जो संपूर्ण भारत में बिछाया गया। क्रमबद्ध विद्यालयों (Graded Schools) की योजना में सबसे नीचे प्राथमिक विद्यालय, उनसे ऊपर मिडिल स्कूल, हाईस्कूल कॉलेज तथा विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव लाया गया। आज वर्तमान में इसी नीति पर शिक्षा की रूपरेखा है।[9]

घोषणा–पत्र में 'अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत' के अनुसरण पर असंतोष प्रकट किया गया क्योंकि उसके परिणामस्वरूप ''सरकार के प्रयास पूर्ण रूप से उन बहुत थोड़े से मूलनिवासियों को अत्यंत ऊँची शिक्षा देने के साधन जुटाने तक ही सीमित हो गए जो अधिकांशतः उच्च वर्गों के होते थे।' घोषणा–पत्र में कहा गया, 'अब हमारा ध्यान इस महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर जाना चाहिए जिसकी अभी तक अवहेलना की गई है, अर्थात् जीवन के सभी अंगों के लिए लाभदायक और व्यावहारिक शिक्षा उस विशाल जन समूह को किस प्रकार दी जाए, जो किसी सहायता के बिना स्वयं लाभदायक शिक्षा पाने में पूर्णतः असमर्थ है।'' घोषणा–पत्र में कहा गया कि योग्य विद्यार्थियों को सभी स्तरों पर छात्रवृत्तियाँ दी जाएँ। देशी विद्यालयों को प्रोत्साहन देने के लिए थॉमसन योजना का विस्तार करने पर बल दिया गया।[10]

घोषणा–पत्र में तीन बातों को महत्व दिया गया– (1) 'अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत' को अस्वीकार करना। (2) माध्यमिक शिक्षा स्तर पर आधुनिक भारतीय भाषाओं को माध्यम बनाना और (3) देशी विद्यालयों को राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति का आधार माना जाना। परंतु जनशिक्षा–प्रसार की योजना के लिए अत्यधिक धन की आवश्यकता थी। अतः घोषणा–पत्र में सहायता–अनुदान (Grant-in-aid) का सुझाव दिया गया। प्रांतीय सरकारें, इंग्लैंड की सहायता अनुदान प्रणाली को अपनाएँ और शिक्षकों के वेतन, छात्रवृतियाँ, पुस्तकालयों, वाचनालयों, प्रयोगशालाओं, विज्ञान तथा कला कक्षाओं, भवन–निर्माण आदि के लिए अलग–अलग अनुदान की व्यवस्था का प्रावधान लाया गया। इस नीति से मिशनरियों के शिक्षा कार्य को अत्यधिक प्रोत्साहन मिला।[11]

अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए प्रत्येक प्रांत में प्रशिक्षण विद्यालयों के निर्माण का सुझाव रखा गया। छात्राध्यापकों को छात्रवृतियाँ तथा शिक्षकों को अधिक वेतन देकर शिक्षा विभाग को समान रूप से आकर्षक बनाया गया। स्त्री–शिक्षा के विद्यालयों को सहायता अनुदान देने की नीति पर बल दिया गया। यह सिफारिश की गई कि व्यावसायिक शिक्षा के विस्तार के लिए स्कूल व कॉलेज खोले जाएँ, पाश्चात्य साहित्य की पुस्तकों का अनुवाद भारतीय भाषाओं में कराया जाए और देशी भाषाओं के लेखकों को पुरस्कृत किया जाए। शिक्षित व्यक्तियों को सरकारी सेवाओं में प्राथमिकता दी जाए जिससे शिक्षा का प्रसार होगा।[12]

वुड के घोषणा–पत्र में भारतीय शिक्षा के आधारभूत सिद्धांतों की व्याख्या की गई और भविष्य के लिए शिक्षा नीति निर्धारित की गई। फिर भी 1854 के घोषणा–पत्र को 'भारतीय शिक्षा का मैग्नाकार्टा' (महाधिकार पत्र) कहना अनुचित है। इसमें व्यापक साक्षरता के आदर्श को स्वीकार नहीं किया गया था। इसने विभिन्न वगों की शिक्षा में अंतर करने वाले परंपरागत 'विक्टोरियाई आदर्श' पर बल दिया। अतः शिक्षा–प्राप्त करने के समान अवसर नहीं प्रदान किए गए। सर फिलिप हार्टोग के अनुसार वुड का घोषणा–पत्र ''भारत के कल्याण के लिए बुद्धिमत्ता का विकास करने वाली नीति का निर्धारक था।'' इस मत का खंडन करते हुए परांजपे लिखते हैं–''घोषणा–पत्र का उद्देश्य ऐसी शिक्षा देना नहीं था जो नेतृत्व करना सिखाए, भारत का औद्योगिक विकास करे, मातृभूमि की रक्षा करना सिखाए अर्थात जो किसी स्वतंत्र राष्ट्र के निवासियों के लिए उपेक्षित हो। 1884 में इस घोषणा–पत्र का जो भी महत्व रहा हो, 1941 में इसे एक शैक्षिक चार्टर कहना हास्यास्पद होगा।''[13]

वुड का घोषणा–पत्र भारत के कल्याण से प्रेरित नहीं था। इसने भारत को ब्रिटिश उद्योगों के लिए कच्चे माल का संभरक तथा इंग्लैंड के तैयार माल के उपभोक्ता के रूप में माना। अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त भारतीय ब्रिटिश माल के उपभोक्ता बनेंगे और सरकारी नौकरियाँ देकर उनकी स्वामिभक्ति प्राप्त हो जाएगी। वुड का घोषणा–पत्र इन्हीं उद्देश्यों से प्रेरित था।[14]

1854 के बाद के काल में इस शिक्षा नीति का परिणाम स्पष्ट रूप में दृष्टिगोचर होने लगा। पश्चिमी शिक्षा–प्राप्त भारतीय, जिनसे आरंभ में ब्रिटिश सरकार समर्थन एवं सहयोग की आशा रखती थी, 19वीं शताब्दी में सरकार के लिए एक समस्या बन गए। शिक्षित भारतीयों ने ही समाचार–पत्र शुरू किए और उनके माध्यम से सरकार की नीतियों की आलोचना की। राष्ट्रीय जागरण का कार्य भी इन्होंने अपने ऊपर लिया और राजनीति में सक्रिय भाग लिया। जनमत को प्रभावित करने, जनता का नेतृत्व करने तथा अंग्रेजों के साधन प्रेस को अंग्रेजों की ही भाँति इस्तेमाल करके उन्होंने राष्ट्रीय जागरण में महवपूर्ण योगदान किया।

1854–1947 के काल में ब्रिटिश शैक्षिक नीति का, शिक्षित भारतीयों द्वारा राजनीति में सक्रिय भाग लेने के फलस्वरूप इस नीति में सरकार द्वारा परिवर्तन एवं संशोधन किया गया ताकि भारतीयों को लाभ मिल सके। 1854 से शिक्षा के क्षेत्र में अगला चरण माना गया है। यह चरण 1900 तक चलता रहा। इन वर्षों में शिक्षा–पद्धति का पाश्चात्यीकरण बड़ी तीव्र गति से हुआ, परंतु उसके अभिकरण भारतीय ही रहे।[15]

निष्कर्ष

चार्ल्स वुड के शिक्षा–घोषणा–पत्र के सुझावों को इस काल में व्यावहारिक रूप दिया गया। 1858 में लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर तीनों प्रेसिडेंसियों कलकत्ता, मद्रास तया बंबई में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। कलकत्ता विश्वविद्यालय के अधीन बर्मा समेत उत्तरी भारत के क्षेत्र आते थे, मद्रास तथा बंबई विश्वविद्यालयों का क्षेत्र अपने–अपने प्रांतों तक सीमित था। बाद में इलाहाबाद तथा लाहौर में भी विश्वविद्यालय खोले गए। प्रत्येक प्रांत में शिक्षा विभाग की स्थापना की गई तथा काफी शिक्षण संस्थाओं का संचालन शिक्षा विभाग के नियंत्रण में आ गया। 1854 से प्राइमरी शिक्षा के बजाय माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा पर अधिक ध्यान दिया गया इसलिए माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में द्रुत गति से विकास हुआ। गैर–सरकारी उद्यम (भारतीय) इस विकास के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी था। कुछ प्रांतों में धन की कमी के कारण शिक्षा–कर लगाए गए तथा निजी एवं गैर–सरकारी प्रयत्नों को प्रोत्साहित किया गया जिससे धन की कमी को दूर किया जा सके, परंतु प्राइमरी शिक्षा के क्षेत्र में विकास नहीं

हुआ और वह पिछड़ी रह गई। इस पिछड़ेपन के अनेक कारण थे। 1895 में भारत सचिव ने अनुदान केवल उच्च तथा माध्यमिक शिक्षा के लिए ही निर्धारित किया था। इसके अतिरिक्त छोटे शहरों तथा गाँवों में छोटी आयु से ही श्रमिक तथा कृषक अपने बच्चों को काम में लगा लेते थे। इसके अतिरिक्त अक्षर ज्ञान को ही लोग पर्याप्त समझते थे। 1854 के वुड के शिक्षा घोषणा पत्र का मूल्यांकन डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में कराया गया।

संदर्भ सूची

1. सिंह, ए.के.; (2012) *'शैक्षिक प्रबन्ध एवं विद्यालय संगठन'* साहित्यागार, जयपुर, पृ. 208।
2. पूर्वोक्त, पृ. 209।
3. पूर्वोक्त, पृ. 210।
4. शुक्ल, रामलखन, (1998) *'आधुनिक भारत का इतिहास'* हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, पृ. 309।
5. पूर्वोक्त, पृ. 310।
6. पूर्वोक्त, पृ. 311।
7. वुड्स डिस्पैच की शिक्षा नीति से संबंधित दस्तावेज, (1854) लंदन।
8. पूर्वोक्त, पृ. 37।
9. शुक्ल रामलखन, (1998) *'आधुनिक भारत का इतिहास'* हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, पृ. 311।
10. पूर्वोक्त, पृ. 311।
11. पूर्वोक्त, पृ. 311।
12. पूर्वोक्त, पृ. 311।
13. पूर्वोक्त, पृ. 311।
14. पूर्वोक्त, पृ. 312।
15. पूर्वोक्त, पृ. 312।

****